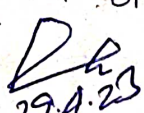


क्रम या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित ३
२९/५/२३	आमेनलख उपस्थापित। आमेनलख का अक्लोकन किया। दिनांक ५/१०/१६ से अपीनकता लगातार अनुपादित है। उत्तरवादी दिनांक १३/११/२१ के एक दिन उपस्थित नहीं हैं। उभय पक्षों की और से वाद में कोई फेरवी दिनांक ३१/११/२१ के बाद से नहीं की जा रही है। ऐसे प्रतीति होता है कि वाद में उनकी कोई अतिरुध नहीं है। आमेनलख के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्षों के बिना अधिवक्ता को दिखवावे। अंचल अधिकारी, महाराष्ट्र को आदेश की प्रति भेजे।  29.4.23 प्र० अ० उ० ए० जकुष	